हिन्दी में विधि पुस्तकों के प्रकाशन पर पुरस्कार

2774. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दी में विधि पुस्तकों के प्रकाशन पर कोई पुरस्कार दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पुरस्कार हेतु 1988 से पुस्तकों का मूल्यांकन न किये जाने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी हां।

(ख) हिन्दी में लिखित और प्रकाशित विधि पुस्तकों के लिए पुरस्कार स्कीम में यह उपबंध है कि सरकार, प्रत्येक कलैंडर वर्ष में विभिन्न विषयों के पांच ज्ञात समूहों में से प्रत्येक में साधारणतया एक प्रथम पुरस्कार, एक द्वितीय पुरस्कार, एक तृतीय पुरस्कार और एक सांत्वना पुरस्कार दे सकती है। प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार में क्रमशः 10,000/-रु०, 5,000/-रु०, 3,000/-रु० और 2,000/-रु० से अनधिक की रकम होती है। इस प्रयोजन के लिए नियुक्त मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर, प्रत्येक समूह में एक से अधिक पुरस्कार भी किसी प्रवर्ग में दिए जा सकते हैं किन्तु शर्त यह है कि किसी एक समूह में दिए गए पुरस्कारों की कुल रकम 20,000/-रु० से अधिक न हो।

(ग) वर्ष 1988 और 1989 के लिए, क्रमशः नौ और छह पुरस्कार, (विवरण संलग्न है) (**नीचे** देखिये) घोषित कर दिए गए है। वर्ष 1990 में प्रकाशित/लिखित पुस्तकों के पुरस्कार के लिए मूल्यांकन कार्य चल रहा है और उनके लिए पुरस्कारों की घोषणा शीघ्र ही की जाने की आशा है। कैलंडर वर्ष, 1991 में प्रकाशित पुस्तकों के लिए प्रविष्टियां पहले ही आमंत्रित की जा चुकी है।

विवरण

क्लैंडर वर्ष 1988 और 1989 के दौरान, निम्नलिखित पुस्तकों का लेखन/प्रकाशन किया गया, जिनका चयन उनके सामने दर्शित पुरस्कार के लिए किया गया

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	पुरस्कार की रकम
वर्ष, 1988		
1. भारतीय दंड संहिता	हनुमान प्रसाद गुप्ता	5,000 रु० (द्वितीय पुरस्कार)
2. अपराध अन्वेषण	प्रेम चंद शर्मा	3,000 रु० (तृतीय पुरस्कार)
3. चिकित्सा न्यायशास्त्र	वसन्ती लाल बाबेल	2,000 रु० (सांत्वना पुरस्कार)
4. वाणिज्यिक विधि के सिद्धांत	कैलाश राय	5,000 रु० (द्वितीय पुरस्कार)
5. हस्तांतरण, प्रारूपकार और विलेखों एवं दस्तावेजों का निर्वचन	कृष्ण अग्रवाल और कृष्ण कुमार सिंह	5,000 रु० (द्वितीय पुरस्कार)
6. सहकारिता एवं अधिभार	रघुनाथ प्रसाद तिवारी, कंचन सिंह चौधरी और राम लाल	3,000 रु० (तृतीय पुरस्कार)
7. संविदा विधि	एस० के० कपूर	2,000 रु० (सांत्वना पुरस्कार)
8. राजस्थान भूमि विधायन	बसन्ती लाल बाबेल	3,000 रु० (तृतीय पुरस्कार)
9. राजस्थान, काश्तकारी अधिनियम, 1955, भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं अन्य अधिनियम	आसकरण अग्रवाल	2,000 रु० (सांत्वना पुरस्कार)
वर्ष 1989		
1. सिविल सेवा विधि एवं अधिकरण	श्री कृष्ण दत्त शर्मा	5,000 रु० (द्वितीय पुरस्कार)
2. विधि शास्त्र	विजय नारायण मणि त्रिपाठी	3,000 रु० (तृतीय पुरस्कार)
3. हत्या	पदम कुमार जैन	5,000 रु० (द्वितीय पुरस्कार)
4. हस्ताक्षर एक विज्ञान	ए० एन० गनौरकर	5,000 रु० (द्वितीय पुरस्कार)

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	पुरस्कार की रकम
5. अपराध अन्वेशण एवं अभियोजन	प्रकाश चन्द्र जैन	3,000 रु० (तृतीय पुरस्कार)
6. मोटरयान अधिनियम, 1988	रामसेवक शर्मा	5,000 रु० (द्वितीय पुरस्कार)

Free legal aid

2775. SHRI RATNA BAHADUR RAI: MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there are provisions of free legal aids to the poor, women and widows;

(b) if so, what are the criteria; and

(c) what is the number of such persons benefited by this legal aid provision in West Bengal, Delhi, Uttar Pradesh and Bihar during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): (a) and (b) Yes, Sir. An Indian citizen whose annual income from all sources does not exceed Rs. 6,000/- upto High Court and Rs. 12,000/- for Supreme Court cases, according to the existing Legal Aid Scheme, is entitled to free legal aid.

This limitation as to income is, however, not applicable to persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Vimukta Jatis, nomadic tribes, women (including widows) and children.

(c) The number of persons benefited by the Delhi Legal Aid & Advice Board during the financial years 1988-89, 1989-90 and 1990-91 is as under:-

Financial Year	General	Women
1988-89	1,199	731
1989-90	1,331	756
1990-91	1,175	670

Requisite information will be laid on the Table of the House when received from the West Bengal, Uttar Pradesh and Bihar State Legal Aid & Advice Boards.

Agitation by Delhi Bar Association

2776. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Delhi Bar Association has been agitating for transfer of Original Pecuniary jurisdiction (Civil Trial Cases) from High Court to District Court (As prevailing in other States) and to shelve the proposal of bifurcation of City Civil Courts into 5 Districts (as City Civil Courts are not divided anywhere in the country); and

(b) if so, what are the details thereof and action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): (a) and (b) the lawyers of the Delhi Bar Association have been agitating demanding that the original pecuniary jurisdiction of the District Court of Delhi should be raised and that the District Court should not be bifurcated. However the Delhi High Court lawyers have been agitating that the District Court should be bifurcated. The Government is of the view that the interest of the litigant public of Delhi has to be the main criterion in effecting changes and that both enhancement of